भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - *317
उत्तर देने की तारीख : 10.08.2021

वाक् एवं भाषा निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण

*317. श्री संजय जाधव:
श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वाक् और भाषा निशक्तता को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत एक विनिर्दिष्ट निशक्तता के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने के बावजूद इस अधिनियम की धारा 34 के अनुसार इस निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए कोई अनिवार्य आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश सरकारी संगठन उन्हें कोई आरक्षण प्रदान नहीं करते हैं क्योंकि यह निशक्तता उपरोक्त अधिनियम के न्यूनतम आरक्षण मानदंडों के अन्तर्गत नहीं आती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(डॉ वीरेंद्र कुमार)

(क) से (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

" वाक् एवं भाषा निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण के संबंध में दिनांक 10.08.2021 को उत्तरार्थ श्री संजय जाधव : श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत द्वारा उठाए गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 317 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 वाक् और भाषा दिव्यांगता सहित 21 विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं को मान्यता देता है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 34 (1) बेंचमार्क दिव्यांगजनों (अर्थात 40% या अधिक की दिव्यांगता) के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में आरक्षण से संबंधित है। इस प्रावधान के अनुसार, सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ बेंचमार्क दिव्यांगताओं की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होता है :

(क)	अंध और निम्न दृष्टि	1%
(ख)	बधिर और श्रवणशक्ति में ह्रास	1%
(ग)	चलन दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण भी है	1%
(घ)	स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता	1%
(ड.)	खंड (क) से खंड (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहुदिव्यांगताएं जिसके अंतर्गत बधिर, अंधता भी है:	

सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ वाक् और भाषा दिव्यांगजनों पर लागू नहीं होता।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) जो कार्मिकों की भर्ती के लिए नोडल विभाग है, ने केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों द्वारा आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के उपर्युक्त प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए 15.01.2018 को एक परिपत्र जारी किया है।

*****